हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
24.12.2025	पत्रावली पेश हुई। अध्यक्ष अभिभाषक परिषद् सदस्यों की ओर से सूचित किया गया कि शीतकालीन अवकाश के दौरान दिनांक 23.12.25 से 01.01.26 तक अधिवक्तागण पैरवी करने में असमर्थ हैं। अतः इस दौरान कार्य स्थगित रखा जावे। पत्रावली दिनांक — 11.02.26 को पेश हो।
11-2-26	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित जवाब सरकार हेतु तहसीलदार हनुमानगढ़ को तहरीर जारी हो वास्ते जवाब सरकार पत्रावली आगामी दिनांक 25-3-26 को पेश हो।
25-3-26	पत्रावली पेश हुई वादी अधिवक्ता उप. सरकार रिपोर्ट प्राप्त शामिल पत्रावली की गई वास्ते स्वयं शपथ-पत्र पत्रावली दिनांक 1-4-26 को पेश हो।
1-4-26	पत्रावली पेश हुई वादी अधिवक्ता उप. वादी स्वयं उपस्थित वादी ने स्वयं का साक्ष्य शपथ-पत्र पेश किया। शामिल पत्रावली किया गया वादी

आदेश आरक्षित।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई वादी ने दोहराने बहस वाद पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि वादी के नाम को राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त किया जावे। वादी की बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया, वाद अवलोकन वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी जिला बून्दी राज0

97 / प्रा0पत्र / 2024
दायरा दिनांक 12.08.2024

पीठासीन अधिकारी
श्री सुरेन्द्र सिंह चौधरी(RAS)

बउनवान

1. ओमप्रकाश आ0 मथुरालाल जाति ब्राहम्ण निवासी पीपल्दाथाग तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी हाल निवासी फतेहपुर का रास्ता इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0।

—प्रार्थी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।

—अप्रार्थी

वाद अन्तर्गत धारा 136 भू0—राजस्व अधिनियम

दिनांकः— 01.04.2026

:—निर्णयः—

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0—राजस्व अधिनियम के तहत वाद पत्र प्रस्तुत कथन किया कि ख0सं0 1038 / 2 रकबा 0.08 हैक्ट0, ख0सं0 313 रकबा 1.48 हैक्ट0, ख0सं0 71 / 2 रकबा 0.48 हैक्ट0, ख0सं0 76 रकबा 0.02 हैक्ट0, ख0सं0 78 रकबा 2.06 हैक्ट0, ख0सं0 953 रकबा 0. 09 हैक्ट0, ख0सं0 955 रकबा 0.06 हैक्ट0 कुल किता 7 योग रकबा 4.27 हैक्टर वाके ग्राम पीपल्दा थाग तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में स्थित है। जिसके सहखातेदार टीनेन्ट प्रार्थी है एंव अपने हिस्से के अनुसार कब्जा काश्त है। उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम हरिओम आ0 मथुरालाल दर्ज हो रहा है जबकि सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, सभी दस्तावेजो में ओमप्रकाश अंकित है क्योंकि राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलत अंकन कर दिया है। इसलिए प्रार्थी को सरकारी योजनाओं का फायदा लेने में भारी परेशानियो का सामना करना पडता है। इसलिए प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के समक्ष कई बार निवेदन किया गया कि मेरा नाम दुरूस्त किया जावे लेकिन अप्रार्थी द्वारा कोई कार्यवाही नही की गई है इसलिए प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि वह न्यायालय से अपने नाम को सही करवावे। प्रार्थी ने अन्तिम बार दिनांक 09.07.2024 को अप्रार्थी से निवेदन किया कि मेरा नाम को सही किया जावे लेकिन अप्रार्थी द्वारा साफ इन्कार कर दिया गया ओर कहा कि न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके सही करवायें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी जर्ये सरकार तहसीलदार इन्द्रगढ़ ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि प्रकरण से सम्बन्धित मौके पर जांच करवाई गई। प्रार्थना पत्र मे वर्णित बिन्दु संख्या 1 में वर्णित आराजी ग्राम पीपल्दाथाग में सहखातेदार टीनेन्ट प्रार्थी है मृतक मथुरालाल का फौती इन्तकाल खोलते समय ओमप्रकाश के स्थान पर हरिओम नामान्तकरण संख्या 365 से सहवन से दर्ज हो गया जबकि ओमप्रकाश व हरिओम दोनो एक ही व्यक्ति होना जांच रिपोर्ट में बताया गया है। प्रार्थी का नाम शुद्व किये जाने की अनुशंषा की गई है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में साक्ष्य शपथ पत्र नकल जमाबन्दी सम्वत 2073—2076 ग्राम पीपल्दाथाग पेश किये है तथा ग्राम पंचायत माखिदा प्रमाण पत्र जनआधार कार्ड की छायाप्रति, बैंक पासबुक, स्वयं का आधारकार्ड, स्वंय का निर्वाचन आयोग पहचान पत्र की छायाप्रतियां पेश की है।

प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी हरिओम के स्थान पर ओमप्रकाश दर्ज किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned with OKEN Scanner

हमारे द्वारा प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया एंव पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध जवाब सरकार में प्रार्थी का नाम शुद्व किये जाने की अनुशंषा की गई हैं अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में आंशिक स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना आशिंक स्वीका किया जाकर ग्राम पीपल्दाथाग तहसील इन्द्रगढ़ स्थित ख0स0 ख0सं0 1038/2 रकबा 0.08 हैक्ट0, ख0सं0 313 रकबा 1.48 हैक्ट0, ख0सं0 71/2 रकबा 0.48 हैक्ट0, ख0सं0 76 रकबा 0.02 हैक्ट0, ख0सं0 78 रकबा 2.06 हैक्ट0, ख0सं0 953 रकबा 0.09 हैक्ट0, ख0सं0 955 रकबा 0.06 हैक्ट0 कुल किता 7 योग रकबा 4.27 हैक्टर वाके ग्राम पीपल्दा थाग तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में स्थित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हरिओम पुत्र मथुरालाल के स्थान पर हरिओम उर्फ ओमप्रकाश आ0 मथुरालाल दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 01.04.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned with OKEN Scanner